प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (साची)
चतुर्थ तल, नव चेतना केन्द्र
10, अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : एस0ई0सी0टी0एस0/पत्रा–444/2016–17/04 लखनऊ : दिनांक 06 फरवरी, 2017

विषय : **स्टेट इम्प्लाइज कैशलेस ट्रीटमेन्ट स्कीम को समयान्तर्गत क्रियान्वित किये जाने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु दिशा–निर्देश।**

महोदय,

जैसाकि आप अवगत हैं, कि राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को आपातकालीन एवं आसाध्य रोगों के सी0जी0एच0एस0 अनुबन्धित निजी चिकित्सालयों में निःशुल्क इलाज का निर्णय लिया गया है, जिसके क्रम में समस्त राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनधारको को योजनान्तर्गत पंजीकृत करते हुए उनके हेल्थ कार्ड बनाये जाने हैं। लक्षित लाभार्थियों के हेल्थ कार्ड बनाये जाने से पूर्व उनके आहरण एवं वितरण अधिकारियों/कोषाधिकारियो (DDO's/STO's) का योजना में पंजीकरण अनिवार्य है।

आहरण एवं वितरण अधिकारियों/कोषाधिकारियो (DDO's/ STO's) के पंजीकरण हेतु योजना की वेबसाइट–www.upsects.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जाना है। आवेदन की प्रक्रिया का बिन्दुवार विवरण संलग्नक–1 पर अंकित है। पंजीकृत आहरण एवं वितरण अधिकारियों/कोषाधिकारियो (DDO's/ STO's) के माध्यम से सम्बन्धित कर्मचारियों/पेंशनधारकों का योजनान्तर्गत पंजीकरण करते हुए हेल्थ कार्ड उपलबध कराया जायेगा। राज्य कर्मचारियों/पेंशनधारकों के ऑनलाइन आवेदन एवं पंजीकरण प्रक्रिया संलग्नक–2 पर अंकित है।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा योजना का क्रियान्वयन दिनांक 01 मई, 2017 से किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। यह आवश्यक है कि योजना के क्रियान्वित होने से पूर्व राज्य के समस्त डी0डी0ओ0/टी0ओ0 का योजनान्तर्गत पंजीकरण हो जाये। इस सम्बन्ध में समय–समय पर पूर्व में दिशा–निर्देश जारी किये जा चुके हैं। पंजीकरण कार्य में सहायता हेतु प्रत्येक जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन तैनात किये गये जिला समन्वयक (डिस्ट्रिक्ट को–ऑर्डिनेटर) को डी0डी0ओ0/टी0ओ0 से सम्पर्क करते हुए समयान्तर्गत पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है।

1221
21/3/17

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आपसे अपेक्षा की जाती है कि योजना को समय से क्रियान्वित करने के उद्देश्य से संलग्नकों में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप अपना तथा अधीनस्थ कर्मचारियों/पेंशनर्स का पंजीकरण सुनिश्चित करें। इस कार्य में जनपद में तैनात डिस्ट्रिक्ट को–ऑर्डिनेटर्स का आवश्यकतानुसार सहयोग प्राप्त करें।

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(डा0 ए0के0 सिंह)
संयुक्त निदेशक एवं स्टेट नोडल अधिकारी

पत्रांक : एस0ई0सी0टी0एस0/पत्रा–444/2016–17/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत मेसर्स जीम वेंचर्स प्रा0 लि0 के माध्यम से तैनात किये गये डिस्ट्रिक्ट को–ऑर्डिनेटर्स को उपरोक्त कार्य हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

(डा0 ए0के0 सिंह)
संयुक्त निदेशक एवं स्टेट नोडल अधिकारी

व0सहा0 वेब समस्त आहरण वितरण अधिकारी को प्रचारित करें।
अखिलेश [illegible]
21/03/17

महोदय
[illegible] वेबसाइट पर इसे अपलोड किया जा चुका है [illegible] कार्यवाही [illegible]
21/3/17

संलग्नक–1

आहरण–वितरण अधिकारी/कोषाधिकारी की पंजीकरण प्रक्रिया

- ❖ वेबसाईट upsects.in खोलें।
- ❖ "DDO/TO Registration" पर क्लिक करें।
- ❖ DDO/TO Registration Form ऑनलाईन भरें।
- ❖ "Submit" बटन पर क्लिक करें।
- ❖ तत्पश्चात् "Add Office" का फॉर्म भरें एवं "Submit" बटन पर क्लिक करें।
- ❖ फार्म Submit करने पर डी0डी0ओ0/टी0ओ0 को उनके पंजीकृत मोबाइल पर 01 ओ0टी0पी0 प्राप्त होगा जिसका प्रयोग कर डी0डी0ओ0/टी0ओ0 अपने भरे हुए पंजीकरण फार्म का प्रिन्ट/डाउनलोड कर सकेगें।
- ❖ प्रिन्ट किये हुए फॉर्म पर हस्ताक्षर करें।
- ❖ हस्ताक्षरित फॉर्म को अपने नियंत्रक अधिकारी से सत्यापित करायें।
- ❖ सत्यापित फॉर्म को स्कैन करते हुए ई–मेल आई0डी0–support@upsects.in पर प्रेषित करें।
- ❖ सत्यापित फॉर्म की हार्ड कॉपी निम्नलिखित पते पर डाक द्वारा भी प्रेषित करें।
  - साची (State Agency for Comprehensive Health Insurance)
  - चतुर्थ तल, नवचेतना केन्द्र,
  - 10, अशोक मार्ग,
  - हजरतगंज, लखनऊ–226001।
- ❖ राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ द्वारा डी0डी0ओ0/टी0ओ0 के फॉर्म का ऑनलाईन सत्यापन करने के पश्चात् सम्बन्धित डी0डी0ओ0/टी0ओ0 के पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर उनका यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड प्रेषित कर दिया जायेगा।
- ❖ फॉर्म भरते समय सी0यू0जी0 मोबाईल नम्बर अंकित करें। सी0यू0जी0 नम्बर उपलब्ध न होने पर ही व्यक्तिगत मोबाईल नम्बर अंकित करें।

संलग्नक–2

राज्य कर्मचारी/पेंशनर्स के फॉर्म भरने की प्रक्रिया

- वेबसाईट upsects.in खोलें।
- "Employee Gateway" पर क्लिक करें।
- Registration Form ऑनलाईन भरें। फॉर्म भरते समय डी0डी0ओ0/टी0ओ0 कोड एवं राज्य कर्मचारी तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड नम्बर एवं फोटो की आवश्यकता होगी।
- फार्म Submit करने पर कर्मचारी/पेंशनर्स को उनके पंजीकृत मोबाइल पर 01 ओ0टी0पी0 प्राप्त होगा जिसका प्रयोग कर कर्मचारी/पेंशनर्स अपने भरे हुए पंजीकरण फार्म का प्रिन्ट/डाउनलोड कर सकेगें।
- हस्ताक्षरित फॉर्म को अपने डी0डी0डी0/टी0ओ0 के पास जमा करायें अथवा डाक द्वारा प्रेषित करें।
- डी0डी0ओ0/टी0ओ0 द्वारा सत्यापित फॉर्म अपने रिकार्ड में सुरक्षित रखा जायेगा एवं उसकी प्रतिलिपि सम्बन्धित कर्मचारी/पेंशनर को प्राप्त करायी जायेगी।
- डी0डी0ओ0/टी0ओ0 द्वारा कर्मचारी/पेंशनर के फॉर्म को ऑनलाईन सत्यापित किया जायेगा, जिसके पश्चात् राज्य स्तर पर कार्ड प्रिंट किया जा सकेगा।
- प्रिन्टिंग के पश्चात् प्लास्टिक "हेल्थ कार्ड" सम्बन्धित डी0डी0डी0/टी0ओ0 के माध्यम से कर्मचारी/पेंशनर को प्राप्त कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त कर्मचारी/पेंशनर को निम्नलिखित प्रक्रिया के माध्यम से कार्ड स्वयं प्रिंट करने का विकल्प भी उपलब्ध होगा।
    - डी0डी0ओ0/टी0ओ0 द्वारा ऑनलाईन फॉर्म सत्यापित करने के पश्चात् कर्मचारी/पेंशनर को ऑटो–एस0एम0एस0 द्वारा कर्मचारी/पेंशनर का यूजर आई0डी0 उनके पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर प्राप्त होगा।
    - कर्मचारी/पेंशनर वेबसाईट upsects.in में लॉग–इन के लिए यूजर आई0डी0 डालेंगे तथा ओ0टी0पी0 बटन पर क्लिक करेंगे। इसके पश्चात् उन्हें उनके पंजीकृत मोबाईल पर ओ0टी0पी0 प्राप्त होगा, जिसकी सहायता से वे वेबसाईट में कार्ड प्रिंटिंग पेज पर पहुंच कर अपना हेल्थ कार्ड प्रिंट कर सकेंगे।